न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 81/2011

उनवान

1. हैरिस लोरेन्स (तर्क)
2. सिरिल लौरेन्स पि. उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लौरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद,
3. ऐलिस पत्नी हैण्ड्री लौरेन्स एवं पुत्रवधु उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लौरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद (फौत)

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. हैरल्ड, (फौत)
1/1. वायलेट पत्नी हैरल्ड
1/2. प्रेम पुत्र हैरल्ड
2. जैरल्ड, (फौत)
2/1. जेनेटदास पत्नी जैरल्ड
2/2. अनिल ऐन्थोनी
2/3. हिल्डा रोज
2/4. शानू शोरतएन
2/5. टूटू मेरी रोज पि0 जैरल्ड
3. हनूक पि. प्रभुदास जाति ईसाई नि0 ग्राम आशापुरा, नसीराबाद,
4. समोक देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट नि. ग्राम गादेरी, नसीराबाद
5. राज. सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
5 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 6/8/24

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आशापुरा प0म0 गादेरी की निम्न आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
57	1–2–0	215	1–2–0	255	0.18
70	0–19–10	214	0–19–10	257	0.16
39	1–0–0	49	1–11–0	52	0.02
				53	0.23
62	1–10–10	[illegible]	[illegible]	264	0.25
234	1–2–0	270	[illegible]	325	0.18
297	1–4–0	461	[illegible]	[illegible]	0.19
298	1–15–10	[illegible]	[illegible]	304	0.29

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर जमाब्रदी सवंत 2025 से 2028 में प्रार्थीगण के पिता/ससुर उततम प्रसाद पुत्र देवीलाल उर्फ लौरेन्स जाति ईसाई की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व पूर्वज कदीम से काबिज काश्त है। चौसाला खसरा नम्बर 39 व 62 के वंर्किग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 त्रुटिपूर्ण रूप से वंर्किग जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। जबकि अप्रार्थीगण को कभी भी प्रार्थीगण द्वारा बैचान नही किया गया है। मूल खातेदार की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। वंर्किग जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरेश सुखदेव अंकित हो गया जबकि सही नाम सिरिल है। उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी स 3 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 को बैचान कर दिया। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पावंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 39 व 62 के वंर्किग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदास पुत्र चमना को जरियें पंजीकृत दान पत्र दी गयी। तब से उक्त आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा पूर्व में एक वाद 47/1965 अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 183 का पेश किया था व उक्त वाद की अपील अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की गयी। आराजी मुतनाजा पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 39 रकबा 1-0-0, 62 रकबा 1-10-10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025-28 में उत्तम प्रसाद पुत्र देवालाल के नाम दर्ज है। वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण का कथन है कि हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदास पुत्र चमना को जरियें पंजीकृत दान पत्र दी गयी। किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। पूर्व जमाबंदी के इन्द्राज से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पूव्र में खातेदारी दर्ज थी। अप्रार्थीगण द्वारा ज्वाब के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व [illegible] शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:15 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश :– अतः ग्राम ग्राम आशापुरा प0म0 गादेरी के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02, 53 रकबा 0.23 व 264 रकबा 0.25 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नसीराबाद
राजस्व 8/11

(1) श्री हैरिस लौरेन्स उम्र करीबन 78 वर्ष (तर्क)
(2) श्री सिरिल लौरेन्स उम्र करीबन 72 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय श्री उत्तम प्रसाद उर्फ श्री डी. लौरेन्स जाति ईसाई निवासी मिशन कम्पाउण्ड नसीराबाद
(3) श्रीमति टेलिस उम्र करीबन 82 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री हैन्ड्री लौरेन्स एवं पुत्रवधु स्वर्गीय श्री उत्तम प्रसाद जाति भारतीय ईसाई निवासिनी मिशन कम्पाउण्ड नसीराबाद (फौत)

बनाम

प्रार्थीगण

(1) श्री हैरल्ड (फौत)
(अ) श्रीमति वॉयलेट पत्नी हैरल्ड उम्र 70 वर्ष
(ब) श्री प्रेम पुत्र हैरल्ड उम्र 44 वर्ष
(2) श्री जैरल्ड (फौत)
(अ) श्रीमति जेनेट दास विधवा स्व. जैरल्ड
(ब) श्री अनिल एन्थोनी पुत्र स्व. जैरल्ड
(स) हिल्डा रोज मेरी पुत्री श्री जैरल्ड
(द) शानु शैरन एन पुत्री जैरल्ड
(स) डूडू मेरी रोज पुत्री स्व. जैरल्ड
(3) श्री हनूक पुत्र श्री प्रभुदास जाति ईसाई निवासीगण आशापुरा तहसील नसीराबाद
(4) श्रीमति स मो[illegible] जाति जाट निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] राबाद जिला अजमेर
(5) राजस्थान सरकार [illegible] महोदय नसीराबाद कार्यालय नसीराबाद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते संसोधित शीर्षक अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

फाइल [illegible] 15/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner